न्यायालय तहसीलदार, फतेहपुर जिला सीकर

मु0 न0	दायर दिनांक	अ0 धा0	निर्णय दिनांक
10/19	12.09.19	91 एल0आर0 एक्ट	27.01.2020

निर्णय

सरकार बनाम किशना पुत्र रूपाराम जाति–जाट, निवासी– बलोद छोटी तहसील फतेहपुर

27.01.2020 पत्रावली आज पेश हुई । गैरसायल की ओर से अधिवक्ता उपस्थित । पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का बलोद छोटी ने सम्वत 2076 में इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की, कि **मोजा ग्राम बलोद छोटी के राजकीय भूमि ख0न0 152 रकबा 11.23 है0 किस्म चारागाह में से 0.0012 है0 पर किशना पुत्र रूपाराम जाति–जाट, निवासी– बलोद छोटी ने बाथरूम बनाकर** अतिक्रमण किया है । रिपोर्ट पटवारी हल्का बलोद छोटी के आधार पर प्रकरण राज0 लैण्ड रेवन्यु एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर गैरसायल को अ0 धा0 91 के तहत नोटिस जारी किया जाकर तलबी वास्ते जवाबदेही की गई । गैरसायल ने जवाब नोटिस पेश नहीं किया, ना ही अतिक्रमण के संबंध में कोई साक्ष्य सबूत पेश करना चाहता है । अतः **गैर सायल के विरूद्व दिनांक 17.01.2020 को जवाबदेही बन्द की गई ।**

रिपोर्ट पटवारी हल्का बलोद छोटी एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया । गैर सायल द्वारा अतिक्रमित भूमि पर अतिक्रमण किया जाना साबित होता है । अतः गैर सायल को राज0 लैण्ड रेवन्यु एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा **गैर सायल किशना पुत्र रूपाराम जाति–जाट, निवासी– बलोद छोटी के राजकीय भूमि ख0न0 152 रकबा 11.23 है0 किस्म चारागाह में से 0.0012 है0 भूमि से आदेश बेदखली पारित किया जाता है ।** भू0अ0नि0 उदनसर को आदेश दिया जाता है कि गैर सायल को अतिक्रमित भूमि से भौतिक रूप से बेदखल कर बेदखली रिपोर्ट पेश करें ।

गैर सायल द्वारा राजकीय भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिये जाने के दण्ड स्वरूप सरह **लगान 0.006 रू का 50 गुणा तावान की कुल राशि 01/–** रूपये बतौर शास्ती आरोपित किये जाते है । तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का को मांग कायमी एवं वसूली हेतु लिखा जावें ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर हो । निर्णय आज दिनांक 27.01.2020 को मेरे द्वारा टंकण करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

तहसीलदार
तहसील फतेहपुर – सीकर

तहसीलदार
फतेहपुर–शेखावाटी (सीकर)

कार्यालय तहसीलदार फतेहपुर–शेखावाटी (सीकर)